<u>वित्तीय स्वीकृति</u>
<u>संख्या-2/2022/552/52-3-2022-3002(099)/1/2021</u>

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 26 अप्रैल, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में स्थापित लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-67/अ0सं0क0नि0-26/लेखा/मद0बजट/2022-23, दिनांक 06.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में स्थापित लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्त मुख्य अनुदेशक, अनुदेशक, लिपिक एवं अनुचर के मासिक मानदेय भुगतान के लिये प्रावधानित धनराशि रू0 2117.31 लाख में से प्रथम चार माह हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक)अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 के प्रस्तर-2(6) तथा वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के शासनादेश सं0-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29.03.2022 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में स्थापित लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की मानक मद-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए अनुदान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट में प्रावधानित धनराशि रू0 2117.31 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 705.78 लाख **(रू0 सात करोड़ पाँच लाख अठहत्तर हजार मात्र)** निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में स्थापित लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में उक्त प्रयोजनार्थ कुल स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक-31 जुलाई, 2022 तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में स्थापित लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को दिनांक 31 जुलाई, 2022 तक देय का भुगतान प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(6) यह वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है कि निदेशक / रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित मदरसों को अनुदान की धनराशि तभी निर्गत की जायेगी , जब वह मदरसे के संबंध में मदरसा पोर्टल पर उपलब्ध सूचना का मिलान करते हुये नियमो/शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त मानकों की पूर्ति संबंधी प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति से संतुष्ट हो लेंगे।

(7) उक्त धनराशि का वितरण समस्त जिलों में एक समान न करते हुये जिलों में कार्यरत लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के अनुपात में किया जायेगा।

(8) वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.12.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) यह भी सुनिश्चित कर लेगें कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना / स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(10) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्रावधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(11) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि से किसी भी कार्मिक के मानदेय के एरियर का भुगतान बिना शासन की अनुमति प्राप्त किये नहीं किया जायेगा ।

(13) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 में निहित प्रावधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-552(1)/52-3-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (ई-4)अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3
6- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।